रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 1975/चैत्र 17, 1897
No. 128] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 1975/CHAITRA 17, 1857

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDERS

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th April 1975

S.O. 169(E)/IECA/3/5/75.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Third Amendment Order, 1975.

2. In the Imports (Control) Order, 1955—

In Clause 11, sub-clause (2), the following amendments shall be made, namely:—

(i) in sub-item b(i), the existing value limit shall be raised from two thousand rupees to five thousand rupees;

(ii) in sub-item (e), the existing value limits shall be raised from two thousand rupees to five thousands rupees and from eight thousand, two hundred and fifty rupees to twenty five thousand rupees;

(iii) in sub-item (g), the existing value limit shall be raised from five hundred rupees to one thousand rupees; and

(iv) the existing sub-item (h) shall be substituted as under:—

"(h) Life saving equipment:—

(i) by hospital or medical institutions for their own use;

(ii) by any individual for his personal use on production of an essentiality certificate from the State Director of Medical Services or Director General Health Services, New Delhi, to the customs authorities;

Provided the life saving equipment imported is of the description specified in Schedule V.

[No. 5/75]

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1975

एस० ओ० 169(अ) आई० टी० सी० ए० 3//5'75.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में धारा 11, उपधारा (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

(1) उप-मद बी (1) में वर्तमान मूल्य सीमा को दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए कर दिया जाएगा ;

(2) उप-मद (ई) में वर्तमान मूल्य सीमा को दो हजार रुपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए और आठ हजार दो सौ पचास रुपए से बढ़ा कर पच्चीस हजार रुपए कर दिया जाएगा ;

(3) उप-मद (जी) में वर्तमान मूल्य सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया जाएगा ; और

(4) वर्तमान उप-मद (एच) को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(एच) प्राण रक्षक उपकरण

(1) अस्पताल अथवा चिकित्सा संस्थानों द्वारा उन के स्वयं के प्रयोग के लिए ;

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा उस के व्यक्तिगत उपयोग के लिए राज्य निदेशक चिकित्सा सेवा से या स्वास्थ्य-सेवा-महानिदेशक नई दिल्ली से अनिवार्यत प्रमाण पत्र को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने पर ;

बशर्ते कि आयातित प्राण रक्षक उपकरण अनुसूची 5 में विशिष्टिकृत विवरण का है।

[संख्या 5/75.]

OPEN GENERAL LICENCE NO. IV—AMENDMENT OF

S.O. 170(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Open General Licence No. IV, published in the

Government of India, late Ministry of Commerce and Industry, Import Trade Control Order No. 2/61 dated the 28th February, 1961, as subsequently amended, namely:—

In the said Licence, in item (iii), in sub-clause (A), the existing value limit of Rs. 1000 shall be read as Rs. 2000.

[No. 6/75]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4—संशोधन

एस० ओ० 170(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 2/61, दिनांक 28 फरवरी, 1961, जिसे बाद में संशोधित किया गया, में प्रकाशित खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4 में और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त लाइसेंस में मद (3) में उप-मद -धारा (ए) में, उप-धारा 1000 रुपये की वर्तमान मूल्य सीमा 2000 रुपये पढ़ी जाएगी।

[सं० 6/75]

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975